<u>न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर</u>

अपील एल0 आर0 संख्या 37/2018 जिला टोंक

विजयप्रकाश पुत्र गोकलचंद जाति ब्राहमण निवासी ग्राम टोडारायसिंह तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक।

....अपीलांट

बनाम

1. भैरूलाल पुत्र बिरधा
2. सददा पुत्र फूला
3. रामराय पुत्र फूला
4. मनफूली पत्नि गंगाराम
5. भूला पत्नि बरदा
6. नौरती पत्नि बरदा
7. सोसर पत्नि बिरधा
8. लक्ष्मण पत्नि बिरधा

9.प्रेमप्रकाश पुत्र गोकुल

समस्त जाति माली निवासी ग्राम ओझापुरा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टोडारायसिंह जिला टोंक।

....रेस्पोडेन्टस

11. सुधादेवी पत्नि विजयप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी ग्राम टोडारायसिंह तहसील जिला टोंक।

....तरतीबी रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह जिला टोक दिनांक 15.09.2017 जो प्रकरण संख्या 544/2013 उनवानी विजयप्रकाश बनाम भैरू में पारित किया गया।

उपस्थित अभिभाषकः-श्री एस0एल0 चौधरी(अपीलांट अभि0)
श्री दिनेश कुमार(रेस्पो0 अभि0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

<u>निर्णय</u> दिनांकः-25.08.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पो0 11 द्वारा रेस्पो0 नम्बर 1 से 10 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह में एक प्रार्थना पत्र धारा 128 व 136 एल0आर0एक्ट [illegible] प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ओझापुरा तहसील टोडारायसिंह के [illegible] 364 रकबा 0.22 हे0, 389 रकबा 1.59 हे0, 370 रकबा 2.24 हे0 [illegible] के खसरा [illegible] साबिक आराजी नम्बर 210/14 रकबा 0.17 बीघा, 210/19 रकबा [illegible] बीघा, 210/2018, 210/6 रकबा 22.13 बीघा कुल रकबा 28.14 बीघा नक्शा ट्रेस मे भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:42:32 IST
Reason: SelfAttested

इतने ही रकबे की तरमीम हो रखी थी। सैटलमेंट के बाद में भी खसरा नम्बर की जमाबंदी में दर्ज रकबे के अनुसार 4.05 हे0 दर्ज किया हुआ है। मगर नक्शा ट्रेस में तरमीम कम रकबे की हुई। नये खसरा नम्बर 364 रकबा 0.22 हे0 में सही तरमीम की गई है। मगर खसरा नम्बर 369 जमाबंदी में इसका रकबा 1.59 हे0 दिखाया गया है, जबकि नक्शाशीट में तरमीम 1.38 हे0 की दिखाई गई है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 370 का रकबा जमाबंदी के अनुसार 2.24 हे0 दर्ज है, मगर नक्शा ट्रेस में रकबा 2.01 हे0 ही है तथा साबिक खसरा नम्बर 203 के बने हाल नम्बर 357 रकबा 10.52 हे0 जमाबंदी में दर्ज है। परंतु शीट में तरमीम 10.78 हे0 बनाई गई है, जो जमाबंदी में दर्ज रकबे से 0.26 हे0 ज्यादा दिखाई गई है और पूर्ण रूप से गलत है। खसरा नम्बर 367 की तरमीम पूर्व खसरा नम्बर 203 के स्थान पर नही की गई है। इसलिए प्रार्थी के खसरा नम्बर 367 रकबा 0.52 हे0 ग्राम ओझापुरा की शीघ्र ही गलत तरमीम को निरस्त करवाकर संशोधित करवाने तथा प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 364 रकबा 0.22 हे0 व 369 रकबा 1.59 हे0, 370 रकबा 2.24 हे0 ग्राम ओझापुरा की जमाबंदी में दर्ज रकबे के अनुसार तरमीम दुरूस्त करवायी जायें।

उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह द्वारा दिनांक 15.09.2017 को प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिससे रूष्ट होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है–

1. उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय किया गया।
2. जमाबंदी के अनुसार रकबा नक्शाट्रेस में नहीं दिखाया गया है तथा खसरा नम्बर की तरमीम अन्य जगह कर दी गई है।
3. खसरा नम्बरों का जमाबंदी में रकबा 4.05 हे0 है। मगर नक्शाट्रेस में कम है।
4. खसरा नम्बर 367 की तरमीम जिस जगह की गई है। वह अपीलांट के कब्जे व खातेदारी में है। गलत तरमीम को दुरूस्त किया जाये तथा उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह का निर्णय दिनांक 15.09.2017 को निरस्त किया जायें।

उक्त अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह कहा कि राजस्व रिकोर्ड का सहारा लेकर रेस्पो0 विवादित भूमियों का अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर देगा एवं प्रार्थी को भूमि से बेदखल कर देगा। जिसकी वजह से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में है। अतः उपखण्ड अधिकारी टोडा के निर्णय दिनांक 15.09.2017 की पालना को स्थगित रखा जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र मियाद अवधि अधिनियम धारा 5 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.09.2017 की सूचना उसके अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को नहीं दी गई थी। उक्त आदेश की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 10.04.2018 को दी गई। इसके बाद दिनांक 11.04.2018 को वह उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के कार्यालय में गया तथा प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु आवेदन किया और उसी दिन नकल प्राप्त की तथा अपील तैयार कर जल्दी अपील प्रस्तुत कर दी गई। अतः अपील प्रस्तुत करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:42:32 IST
Reason: Self Attested

में हुई देरी को क्षमा किया जायें। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ उनके द्वारा अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

अपील के साथ अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की। न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड तलब किया जाकर रिकोर्ड प्राप्त किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई, बहस में वकील अपीलांट ने बताया कि जमाबंदी में पहले वाली और सैटलमेंट के बाद वाले रिकोर्ड में रकबा समान है। मगर नक्शे में रकबा कम है। हमारे खसरा नम्बर 364 में पुराने रकबे के अनुसार रकबा दर्ज है। मगर हमारे खसरा नम्बर 369 एवं 370 में नक्शा ट्रेस में जमाबंदी की तुलना में 0.37 हे0 रकबा कम है। खसरा नम्बर 367 रेस्पो0 का हैं। इसके मेप में 0.52 हे0 की जगह 0.78 हे0 रकबा दर्ज किया हुआ है। यह ज्यादा दर्ज किया हुआ है और हमारे कम किये क्षेत्रफल को इनके नाप में चढा दिया है।

राजकीय अभि0 द्वारा प्रकरण को खारिज करने के लिए निवेदन किया और यह निवेदन किया कि एस0डी0ओ टोडारायसिंह द्वारा सही रूप से निर्णय किया गया है। अपील खारिज की जायें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाना उचित होगा। अधीनस्थ न्यायालय की प्रोसिडिंग का अवलोकन किया गया। प्रोसिडिंग दिनांक 15.09.2017 के अनुसार उभयपक्ष अभि0 को उपस्थित बताया गया है। प्रोसिडिंग पर प्रार्थी की उपस्थिति के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह बताया गया है कि उसे उसके अभिभाषक द्वारा निर्णय की जानकारी नहीं दी गई थी तथा जानकारी प्राप्त होते ही उसके द्वारा अपील प्रस्तुत कर दी गई थी। न्यायालय हाजा में उक्त अपील दिनांक 23.04.2018 न्यायालय हाजा में रीडर द्वारा इंडोर्स किया जाना पाया जाता है। न्यायालय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विवरण से सहमत है। अपीलांट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

''उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 15.09.2017 के अनुसार पूर्व खसरा नम्बर 203 अपीलांट की खातेदारी में दर्ज की गई। जिस वजह से अपीलांट साबिक खसरा नम्बर 203 से बने हाल खसरा नम्बर 367 में तरमीम दुरूस्त करवाने का अधिकारी प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट के द्वारा जो साबिक शीट पेश की गई है। उसमें अपीलांट के साबिक खातेदारी में दर्ज खसरा नम्बर 210 एवं 209 के मीन नम्बर की तरमीम होना नहीं पाई जाती है। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि अपीलांट का साबिक खसरा नम्बर 209 व 210 में किस मीन नम्बर की तरमीम किस रूप में थी तथा वर्तमान में उस स्थान पर किनसे खसरा नम्बर की तरमीम कर दी गई। जो कम की गई या अधिक इस स्पष्ट के अभाव में अपीलांट अपने खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 369 एवं 370 ग्राम ओझापुरा में दर्ज रकबे को जमाबंदी में दर्ज अनुसार शीट में कम होने से तरमीम दुरूस्त करवाने का अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:42:32 IST
Reason: Self Attested

नहीं है। बिना साबिक शीट में तरमीम के हाल शीट में दर्ज खसरा नम्बर की रकबा बरारी करवाया जाना संभव नहीं है। यही तथ्य तहसीलदार टोडारायसिंह से चाही गई रकबा बरारी की रिपोर्ट दिनांक 02.06.2017 में बताया गया है''

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल ग्राम ओझापुरा संवत 2050 से 2069 का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 210 मीन से नया खसरा नम्बर 364 (रकबा 0.22 हे0), 202 मीन एवं 210 मीन से नया खसरा नम्बर 365(रकबा 1.30 हे0) बना है। साबिक खसरा नम्बर 203 मीन से नया खसरा नम्बर 367 रकबा 0.52 हे0 बना है। साबिक खसरा नम्बर 209 मीन से नया खसरा नम्बर 368 रकबा (रकबा 3.36 हे0) बना है। साबिक खसरा नम्बर 209 मीन तथा 210 मीन से नया खसरा नम्बर 369(रकबा 1.59 हे0) बना है। साबिक खसरा नम्बर 209 मीन से ही नया खसरा नम्बर 370 (रकबा 2.24 हे0) इसी प्रकार खसरा नम्बर 210 मीन से नवीन खसरा नम्बर 377 (रकबा 0.36 हे0)बना है। साबिक खसरा नम्बर 209 मीन से नये खसरा नम्बर 503 (रकबा 0.11 हे0) बना है। साबिक खसरा नम्बर 209 मीन एवं 203 मीन से नया खसरा नम्बर 505(रकबा 0.25 हे0) बना है। इसी प्रकार साबिक खसरा नम्बर 203 एवं 208 मीन से नये खसरा नम्बर 522(रकबा 0.39 हे0) बना है। खसरा नम्बर 201 मीन एवं 202 मीन से नये खसरा नम्बर 343(रकबा 0.26 हे0) बना है।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2069–72 ग्राम ओझापुरा खसरा नम्बर 370 (रकबा 2.24 हे0)अपीलांट के नाम दर्ज है। एक अन्य जमाबंदी ग्राम ओझापुरा खाता नया 249 संवत 2069–72 खसरा नम्बर 364 सुधादेवी पत्नि विजयप्रकाश के नाम दर्ज है, जो रेस्पो0 नम्बर 11 है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 369 अपीलांट व रेस्पो0 नम्बर 11 के नाम सहखातेदारी में दर्ज है। रकबा 1.59 हे0 है तथा अपीलांट का हिस्सा 2/3 एवं रेस्पो0 नम्बर 11 का हिस्सा 1/3 है।

तहसील टोडारायसिंह में सैटलमेंट दो दशक पूर्व हुआ था। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा पर्चा खतौनी तैयार की जाती है। जिसमें एक प्रति संबंधित कृषक को तथा दूसरी भूमिधारी तहसीलदार को दिया जाना आवश्यक है। निरीक्षक द्वारा सर्वेक्षण की जांच शीट पुख्तगी व भूखण्ड संख्यांकन प्रक्रिया की समाप्ति पर राजस्व जामबंदी भी प्रविष्टियों से तैयार क्षेत्र(खसरा) के आधार पर भू–मापक पर्चा खतौनी तैयार करते है। पर्चे में कृषक का नाम ,जाति ,निवास स्थान एवं अन्य बातों का विवरण होता है। पर्चा खतौनी कृषक की जोत में सम्मिलित समस्त भूखण्डों (खसरा नम्बरों) का प्रमाण है। जिसमें उसकी जोत का समेकित लेखा–जोखा उपलब्ध करवाया जाता है। सैटलमेंट समाप्ति से पूर्व किसानों को वितरित पर्चे से यह अवगत होता है कि उसके प्रत्येंक खेत का कितना रकबा है तथा नक्शा कैसा है। भू–प्रबन्ध पूरा होने से पूर्व कृषक इन बातों से संबंधित कोई विचलन होने पर आक्षेप कर सकता है तथा अपनी इस शिकायत का निराकरण करवा सकता था जो भू–प्रबन्ध समाप्ति के बाद अपीलांट के पिता गोकुल चन्द द्वारा किया जाना था जो नही किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:42:32 IST
Reason: Self Attested

बहस में उठाये गये बिन्दु के अनुसार अपीलांट के खसरा नम्बर 369 व 370 का रकबा जो जमाबंदी में बताया गया है, उतना रकबा मैप में नहीं है तथ 0.37 हे0

कम कर दिया गया है तथा उक्त कम किया रकबा रेस्पो0 के खसरा नम्बर 367 में जोड़ दिया गया है।

वर्तमान खसरा नम्बर 367 का रकबा 0.52 हे0 है तथा 203 मीन से बना है। परंतु मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 203 मीन से एक अन्य खसरा नम्बर 366 रकबा 0. 12 हे0 भी बना है तथा 203 मीन एवं 209 मीन दोनो से मिलकर एक नया खसरा नम्बर 505 बना है। जिसका रकबा 0.25 हे0 है तथा संवत 2050 –69 जमाबंदी के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 367 का रकबा 0.52 हे0 है जो चरागाह के नाम दर्ज है तथा जमाबंदी संवत 2069–72 में भी खसरा नम्बर 367 रकबा 0.52 हे0 चरागाह के नाम दर्ज है। जमाबंदी 2039–42 के अनुसार खाता संख्या नया 43 ग्राम ओझापुरा अपीलांट के पिता के नाम दर्ज था। जिसमें कुल 6 खसरा नम्बर दर्ज है। जिसका रकबा 34 बीघा 9 बिस्वा है। मगर इसमें खसरा नम्बर 203 अंकित नहीं है। इसी 203 से नया खसरा नम्बर 366 एवं 367 रकबा 0.52 हे0 बना है। जो कभी भी अपीलांट या उसके पिता की खातेदारी में नहीं रहा है। अपीलांट के अनुसार 367 का रकबा 0.52 हे0 की जगह 0.78 कर दिया गया है और उसका रकबा बढ़ा दिया गया है।

स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 203 पुराने जिसके नये नम्बर 367 बने वर्तमान में चरागाह के नाम दर्ज है तथा चरागाह पर किसी प्रकार से कोई व्यक्ति खातेदारी प्राप्त नहीं कर सकता है। अपीलांट क्लीन हैंड से कोर्ट में नहीं आया है तथा तथ्यों को छुपाकर लाभ प्राप्त करना चाहता है। अपीलांट अपने दस्तावेजों के आधार पर अपील मे उठाये गये बिन्दुओ को सिद्ध नही कर पाया है। अतः अपील खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह प्रकरण संख्या 544/2013 निर्णय दिनांक 15.09.2017 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 25.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:42:32 IST
Reason: SelfAttested